बिहार विधान सभा के लिए निवेदन	
श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0 से दि0–21.02.2013 को प्राप्त निवेदन सं0–1604/13 के संबंध में	श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
निवेदन	**उत्तर**
पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत घोड़ासहन प्रखण्ड के लौखान करबा ग्राम में दि0–11 जुलाई 2007 को खेत में कार्य कर रहे सीतामती देवी पति राजेन्द्र प्रसाद, धर्मेन्द्र पासवान पिता राजेन्द्र पासवान सहित अन्य तीन ग्रामीणों के वज्रपात से मृत्योपरांत सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के बावजूद आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजा की राशि नहीं मिलने से संबंधित पीड़ित परिवारों में असंतोष व्याप्त है । अतः आपसे निवेदन के माध्यम से आग्रह करना है कि उपरोक्त पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा राशि का भुगतान किया जाय ।	विभागीय संकल्प सं0–2203/आ0प्र0 दि0–11.07.12 के आलोक में वज्रपात से मृत्यु की दशा में अनुग्रह अनुदान दि0–01.04.2009 को अथवा इसके उपरान्त घटित घटनाओं के लिए ही देय है । चूँकि यह घटना दि0–11.07.2007 की है, जो 1.04.2009 के पूर्व है । अतएव इस मामले में अनुग्रह अनुदान देय नहीं है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0प0नि0–33/2013/........................../आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त पत्रांक –2172 दि0–2.03.13 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04/वि0प0नि0–33/2013/....1126..../आ0प्र0, पटना–15, दि0– 19/3/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

19.3.13

सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai\Nivedan 8-03-2013.docx